FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 15)

जज अदालत उपखण्ड कार्यालय मुकाम राजसमन्द

राजेन्द्र बनाम विश्वम्भर लाल वगैरह

किस्म मुकदमा 113/2013 नं. सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
28/5/18	पत्रावली न्याय आपके द्वार कैम्प लसाड़ा में विचारार्थ एवं अन्तिम निर्णय प्रस्तुत हुई। वादीगण ने उपस्थित होकर बताया कि वाद नं. 57/2004 रामपोथी बनाम विश्वम्भर लाल वगैरह में एक पक्षीय डिक्री दिनांक 30.9.2007 को पेश की धारा 9 नियम 13 के तहत दर्ज की गई अपील पारित करते पुनः मुकदमा दर्ज निर्णय पारित करते बाबत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जावे। इस पर न्यायालय द्वारा प्रतिवादी गण को बुलाया गया तो प्रतिवादीगण 2 लगा. 3 हाजिर हुए न होने बताया कि प्रतिवादी नं. 1 विश्वम्भर लाल को इनके वकील मोहनी रावत ने किये अब इनके कहने राजिनामे विलेख पत्र पर इनके कहने राजिनामे की कार्यवाही राजिनामे का आधार पेश किया की कार्यवाही राजिनामे का आधार पेश किया की कार्यवाही चल रही इसे स्थगित हुई। वादीगण ने उपस्थित होकर बताया कि अदालती 1179 विश्वम्भर लाल	राजस्व लोक अदालत अभिकरण न्याय आपके द्वार-2016

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये

वि.न. 185 वादी के विरुद्ध मनाकर की
वाद वादी की वादिनी की ओर से मनाकर
के लिए से ही वादीगण वादिनी ही
अतः इस दावे नाम लगाया जाये।
मगर वाद के दौरान वादीगण
व प्रतिवादीगण की मौखिक के समय
समझौता की गई तो दोनों पक्ष 1/2
1/2 पर राजी हो कर एक
वादी ने एक अर्जी लगाई कि एक
शामिल वि.न. ... 2 का 4-10 किया
जाये वादी व प्रतिवादी
को कि वीडिया के ही कमरे वादी व प्रतिवादी
3-4, 1/2-1/2 हिस्से के खातेदार है
उनका बटवारा कर दिया जाये। प्रार्थना
पत्र को विचार में लिया क्या पुनः निर्णय पढ़े हो
न्यायालय द्वारा पट गाम्बेल
लगाया कि वादीगण व प्रतिवादीगण के
2 व 3 पुत्र के ही 1/2-1/2 के हिस्सेदार
ही इसके लग रहा था कि के बाद के
हिस्सेदार ही अतः न्यायालय वि.न.
1179 के वादीगण को 1/2 का
1-12
खातेदार सहमति घोषित करती है
साथ ही तहसीलदार राजगढ़ को
2 का 4-10 के कोर्ट
वि.न. ... ...
पेश करे हेतु आदेश प्रसारित करती है
~~पत्रावली स्थायी~~ इसका पुनः के निराकरण
पर दिया जावेगा। पत्रावली स्थायी पुनः
दाखिल नस्ती के रूप हो।

लोक अदालत अभियान
आपके द्वार-2016